राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र.एफ4(6)पीसा / नियम / विधि / पंरा / 2010 / 128 जयपुर, दिनांक 10.3.2016

परिपत्र

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों के अधिकारों के लिए बनाये गये राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों मे उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011(PESA Rules, 2011) की कियान्विति हेतु पूर्व में आज्ञा क्र.एफ4(6)पीसा / नियम / विधि / पंरा / 2010 / 237 जयपुर, दिनांक 30.1.2012 जारी की जाकर समस्त संबंधित से अपेक्षा की गई थी कि वे उक्त नियमों के कियान्वयन हेतु निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करें।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि संबंधित द्वारा PESA Rules, 2011 तथा आज्ञा दिनांक 30.1.2012 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण रूपेण पालना नहीं की जा रही है। अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि PESA Rules, 2011 के द्वारा अधिसूचित क्षेत्र की ग्राम सभाओं / पंचायतों को जो विशिष्ट शक्तियां इन नियमों में उल्लिखित विषयों के संबंध में दी गई हैं, उक्त क्षेत्र की ग्राम सभाओं / पंचायतों द्वारा इन नियमों के तहत प्रदत्त इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित करावें । इस संबंध में संबंधित से अपेक्षा है कि वे अपनी अधिकारिता के समस्त ग्रामों की ग्राम सभा यथाशीघ्र आयोजित करवाकर, उक्त नियमों के नियम 12 के प्रावधानानुसार शान्ति समितियों का गठन करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

राज्य में PESA के सफल एवं प्रभावी कियान्वयन के लिए आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर प्रभारी अधिकारी के रूप में *Monitoring* करते हैं । अतः समस्त विकास अधिकारीगण उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए पालना प्रतिवेदन आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को प्रस्तुत कर, प्रति पंचायती राज विभाग को भिजवायेंगे ।

आज्ञा से

संयुक्त शासन सचिव (विधि)

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर राजस्थान।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर ।
4. ज़िला कलेक्टर, बांसवाड़ा / डूंगरपुर / प्रतापगढ़ / सिरोही / उदयपुर ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, बांसवाड़ा / डूंगरपुर / प्रतापगढ / सिरोही / उदयपुर ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला, बांसवाड़ा (सम्पूर्ण) / डूंगरपुर (सम्पूर्ण) / अरनोद, प्रतापगढ, पीपलखूंट, धरियावद (प्रतापगढ) / आबूरोड (सिरोही) / अनुसूचित क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियां (उदयपुर) ।

संयुक्त शासन सचिव(विधि)